

वेबिनार दिनांक 13.08.2026 को प्रातः 10.30 बजे पूर्वान्ह



उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन,

ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ

Email- contactuprera@up-rera.in

पत्र संख्या 2699 / यू0पी0रेरा / 2026-27

दिनांक 29 जुलाई, 2026

समस्त प्रशिक्षित/पंजीकृत रियल इस्टेट एजेन्ट्स,
उ.प्र. रेरा।

विषय-उ.प्र. रेरा रेग्यूलेशन-54, 2019 (12वें संशोधन दिनांक 13.07.2026 तक संकलित) रेग्यूलेशन-54 में निर्धारित कम्प्लायन्स के सम्बन्ध में वेबिनार दिनांक 13.08.2026 प्रातः 10:30 बजे में प्रतिभाग हेतु।

उ.प्र. रेरा में पंजीकृत एजेन्ट्स के लिए रेग्युलेटरी कम्प्लायन्सेस की व्यवस्था उ.प्र. रेरा रेग्यूलेशन-54, 2019 (12वें संशोधन दिनांक 13.07.2026 तक संकलित) रेग्यूलेशन-54 में क्लॉज डी, ई, एफ में निर्धारित है। इस हेतु अभीष्ट कम्प्लायन्स के लिए दो प्रारूप- आरईजी-8 एवं आरईजी-9 निर्धारित हैं जो उक्त रेग्यूलेशन के संलग्नकों में उपलब्ध हैं। रेग्यूलेशन-54, क्लॉज डी, ई, एफ. में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत है:

"54. The Real Estate Agent Enrolment, Training, Certification and Statutory Compliances.

- d. Every registered real estate agent shall maintain records of transactions such as Cash Book, Journals, Ledger as per the standard industry practice and Customer Register in the format given in Form REG-8. He shall preserve the records for a minimum period of five years from the date of completion of the project or registered sale / lease deed, as the case may be, and produce such records before the Authority or any officer authorized by it in this behalf, for the purposes of inspection and enquiry.*
- e. Every registered real estate agent shall provide quarterly updates of all transactions facilitated by him along with the details of employees, on the website of the Authority in the format given in Form REG-9 within 15 days from the end of the quarter. A late fee of ₹10,000 (Rupees Ten Thousand only) shall be payable by the real estate agent for delay in submission of such quarterly reports.*
- f. A real estate agent, at the time of first statutory filing of details of transactions, shall provide the details of all transactions facilitated by him since his*

registration with the Authority and details corresponding to the current quarter in every subsequent filling of such periodical reports."

रेग्यूलेशन-54 द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के सम्बन्ध में उ.प्र. रेरा में एजेन्ट प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम में प्रशिक्षित/ उ.प्र. रेरा में पंजीकृत एजेन्टगण के साथ टाउनहाल मोड में एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त रेग्यूलेशन में निर्धारित कम्प्लायसेन्स के सम्बन्ध में ओरिएन्ट किया जा सके।

अभीष्ट वेबिनार दिनांक 13.08.2026 को प्रातः 10.30 बजे पूर्वान्ह पर आयोजित होना प्रस्तावित है। अतः सभी प्रशिक्षित/पंजीकृत एजेन्टगण इस सेमिनार में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। वेबिनार हेतु वेबलिंग इस पत्र के साथ प्रेषित ईमेल में अंकित किया जा रहा है।


(महेन्द्र वर्मा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा को मा. अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एवं गूगल कैलेंडर में अंकन हेतु।
2. प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. रेरा।
3. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. रेरा।
4. संयुक्त सचिव, मुख्यालय/उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. रेरा।
5. राजस्व रिकवरी अधिकारी, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. रेरा।
6. सहायक निदेशक (सिस्टम) को ई-मेल के माध्यम से वेबलिंग प्रेषित करने के साथ वेबिनार आयोजन हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा।
8. श्री राघवेन्द्र मण्डावली, रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स परामर्शदाता, उ.प्र. रेरा।
9. विधि परामर्शदाता, उ.प्र. रेरा।


(महेन्द्र वर्मा)
सचिव